तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** **उपस्थित :** श्री राकेश अरोडा, अभिभाषक अपीलांट । श्री ईश्वर देवडा, अभिभाषक रेस्पोडेंट **आदेश** हस्तगत् अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–3–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील ज्ञापन अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व कैंप भटियानी में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 28–5–84 को रेस्पोडेंट संख्या–1 के पति बालूराम, 2 से 4 के पिता, 5 के ससुर व 7 के दादा बालूराम तथा भैरूला को चौसाला खसरा नंबर 43 हाल खसरा नंबर 59 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी किस्म बारानी–1 का नियमन किया गया। उक्त नियमन आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के तहत न्यायालय अपर जिलाधीश अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत कर उक्त नियमन खारिज करने का निवेदन किया गया जो दिनांक 13–5–03 को निरस्त कर दिया गया। जिसकी अपील अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 21–10–03 को आंशिक स्वीकार कर प्रकरण कतिपय निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेंट ने निगरानी राजस्व मंडल के न्यायालय में प्रस्तुत की। राजस्व मंडल ने निगरानी आंशिक स्वीकार करते हुये राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर को प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। मंडल के आदेश की पालना में राजस्व अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16–2–06 द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	विद्वान अभिभाषक अपीलांटस् ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि जमाबंदी संवत् खेवट 2018 से 2021 में अपीलार्थीगण के पिता बृजलाल गैर खातेदार दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी संवत् 2019 व 2020 तथा 2023 से 2034 में बृजलाल का बहैसियत काश्तकार दर्ज है। संवत् 2035 से 2042 में भी अपीलार्थीगण के पिता बृजलाल के नाम नियमन दर्ज है। इस प्रकार तथाकथित आवंटन/नियमन तारीख को अपीलार्थीगण के पिता बृजलाल का कब्जाकाश्त था। जब विवादित आराजी पर अपीलार्थीगण के पिता का कब्जाकाश्त एवं फसल थी तो विवादित आराजी रिक्त कैसे हो सकती है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी को रिक्त मानकर सिवायचक दर्ज कर उसे रेस्पोडेंट के पूर्वज बालूराम व भैरूलाल के नाम नियमन किया जाना बिलकुल गलत एवं विधि विरूद्ध है। बालूराम व भैरूलाल ने नियमन हेतु कोई आवेदन पत्र ही पेश नहीं किया तो उन्हें नियमन किया जाना गलत है। उनका यह भी कथन है कि आवंटन से पूर्व ही भैरूलाल का देहांत हो चुका था तथा मृतक व्यक्ति के नाम आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता। रेस्पोडेंट ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर आवंटन करवाई है। विवादित आराजी पर आवंटी रेस्पोडेंट का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। ऐसी स्थिति में उन्हें आवंटन नहीं किया जा सकता। जिसे निरस्त किया जाना चाहिये था। पटवारी की रिपोर्ट में अपीलांट के पिता का नाम काटकर रेस्पोडेंट के पिता व बडे पिता का नाम लिखा है। आवंटी भूमिहिन की श्रेणी में भी नहीं आते है। विवादित आराजी सेटलमेंट के रिकोर्ड में आज भी अपीलांट के नाम दर्ज है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई। अवैध एवं विधि विरूद्ध आवंटन/नियमन के लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 में 1997 के राजस्थान अधिनियम संख्या–3 द्वारा यह प्रावधान जोडा गया कि कभी भी भूमि का आवंटन रद्द किया जावेगा तो अर्जित खातेदारी अधिकार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	स्वतः ही निर्वापित हो जायेगा। इसके बावजूद दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलांट के विरूद्ध मनमाने तीरके से निर्णय पारित किये है। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किया जावे। उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट का कथन है कि विवादित आराजी रेस्पोडेंट को नियमानुसार जांच की जाकर आवंटित की गई है। भूमि आवंटन के समय सिवायचक होकर आवंटन हेतु उपलब्ध थी। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की अवेहलना नहीं की गई है और न ही किसी प्रकार के तथ्यों को छुपाया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने खारिज किया जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी बहाल रखा है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के साथ उपलब्ध निर्णयों तथा संलग्न दस्तावेज का अद्योपांत अवलोकन व अध्यन किया गया। आवंटन आदेश दिनांक 28–5–84 के अनुसार भैरूलाल व बालूराम को खसरा नंबर 43 हाल खसरा नंबर 59 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी राजस्व शिविर में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन/नियमन किया गया। आवंटन नियमों की शर्ते पूर्ण हो जाने पर दिनांक 19–6–92 को खातेदारी दी गई। अपीलांट का कथन कि आवंटन प्रार्थना पत्र में कटिंग है, मान्य नहीं है। आवंटन/नियमन आदेश में किसी प्रकार की कटिंग नहीं है। आवंटन सलाहकार समिति ने अपने स्तर पर पात्र आवंटी का चयन करते हुये उचित आवंटन/नियमन किया है। राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों के मिलीभगत कर नियमन/आवंटन कराने के प्रमाण नहीं मिलने से दोनो अधीनस्थ	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	न्यायालयों ने रेस्पोडेंट का आवंटन विधिसम्मत् माना है। आवंटन/नियमन के समय विवादित आराजी सिवायचक होकर आवंटन/नियमन हेतु उपलब्ध होने की स्थिति में ही आवंटन सलाहकार समिति ने विस्तृत जांच करते हुये रेस्पोडेंट को आवंटन/नियमन का पात्र मानते हुये विधिवत् आवंटन किया है। आवंटन/नियमन होने के 18 वर्ष बाद अपीलांट द्वारा अपील की गई, जो सदभावी नहीं है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों ने रेस्पोडेंट के पक्ष में की गई नियमन कार्यवाहीं को विधिसम्मत् बताया है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों ने सम्पूर्ण विवेचन व विश्लेषण के पश्चात् समवर्ती निर्णय पारित किये है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के तहत यदि आवंटी द्वारा तथ्यों को छुपाकर कपटपूर्ण, कांटछांट कर अथवा आवंटन/नियमन शर्तो की अवेहलना का दोषी पाये जाने की स्थिति में ही नियमानुसार उसका आवंटन/नियमन खारिज किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(1)ix) अनियमित आवंटन/नियमन के सबंध में होने से इस प्रकरण पर लागू नहीं होता है। अभिभाषक अपीलांट हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य साबित करने में सफल नहीं हो पाये जिससे रेस्पोडेंट को किया गया आवंटन/नियमन विधि विरूद्ध माना जा सके। हमारी सुविचारित राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य होने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य**	